

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : ई/चि.अ./ए-1021/2019/ दिनांक :

— परिपत्र —

प्रायः यह देखा गया है कि चिकित्सको के अवकाश प्रकरणों/आदेशों की प्रतीक्षा अवधि निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार/विदेश यात्रा हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र/सीनियर रेजीडेंट/सहायक आचार्य एवं अन्य प्रकरणों को आप द्वारा बिना परीक्षण किये एवं बिना विज्ञप्ति के निदेशालय को भिजवा दिये जाते हैं, जिससे निदेशालय स्तर से उक्त प्रकरणों में बार-बार पत्र व्यवहार किये जाने के कारण चिकित्सको के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होता है या उनकी निर्धारित तिथि निकल जाती है।

इस सबंध में निदेशालय में जो भी चिकित्सको के प्रकरण भिजवाये उसमें निदेशालय के परिपत्र क्रमांक ई/चिअ/राजपत्रित/सामान्य/2018/312 दिनांक 10/04/2018 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरणों को समय पर भिजवाते हुये चिकित्सको की जन्मतिथि/प्रथम नियुक्ति तिथि/आरपीएससी/आरयूएच वर्ष अंकित करते हुये तथा आवेदन हेतु विज्ञप्ति की छायाप्रति सलग्न करते हुये प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण करने के उपरान्त ही निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

60/2  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-1021/2019/ 864

दिनांक : 13/6/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
2. अधीक्षक, समस्त मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई एस आई योजना लक्ष्मीनगर अजमेर रोड, जयपुर।
4. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राज0जयपुर।
5. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन-राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

12/6/19  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार

MOST URGENT

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/सामान्य/2018

दिनांक :

:-परिपत्र:-

प्रायः यह देखा गया है कि चिकित्सक विदेश यात्रा की तिथि से 2-4 दिवस पूर्व ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं एवं तुरन्त विभागीय स्वीकृति हेतु दबाद बनाया जाता है। जिससे नियमित कार्य व्यवस्था प्रभावित होती है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 07.04.18 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नांकित कार्य व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया:-

1. चिकित्सक विदेश यात्रा हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर पासपोर्ट की फोटोप्रति एवं स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से विदेश यात्रा की तिथि के 45 दिवस पूर्व निदेशालय को प्रस्तुत करें।
2. उक्त प्राप्त आवेदन पत्र पर निदेशालय द्वारा अधिकतम 10 दिवस में नियमानुसार अनुमति जारी की जायेगी। प्रकरण 10 दिवस से अधिक अवधि का होने की स्थिति में राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
3. पासपोर्ट आवेदन हेतु प्रपत्र "H" नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से 25 दिवस पूर्व निदेशालय को प्रेषित किया जावे। प्राप्त आवेदन पत्र 7 दिवस में नियमानुसार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के प्राप्ति हस्ताक्षरो के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सक को वापस तौटा दिया जावेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 10/4/2018

क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/सामान्य/2018 312

प्रतिदिगिणे निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (ई एस आई) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई राजस्थान जयपुर।
6. समस्त सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय प्रकोष्ठ राजपत्रित, मुख्यालय।
10. प्रभारी लोकायुक्त/मानवाधिकार प्रकोष्ठ राजपत्रित मुख्यालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।